कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग,जिला–दुर्ग (छ.ग.)
//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक/क्यू /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2024 दुर्ग, दिनाँक–08/05/2024

मैं, श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1)एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करती हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दुर्ग के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला–दुर्ग	**आरक्षी केन्द्रः–** **1– दुर्ग** **2–पदमनाभपुर** **3–सुपेला (चौकी स्मृति नगर)** **3–यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई** **4–आबकारी विभाग,दुर्ग**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश सभी दांडिक मामलों, परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (5) आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वरग्रामः– जामगॉव(एम), घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरूवाईनडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना । (6) माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7–7/2005 बिलासपुर दिनाँकः–19.10. 2005 के अनुसार सिविल जिला दुग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्नः– (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम –1944, (2) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम–1992, (3) कम्पनी अधिनियम–1956, (4) धनकर अधिनियम–1957,

			(5) दानकर अधिनियम–1958, (6) आयकर अधिनियम–1961, (7) सीमा शुल्क अधिनियम–1962 (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम–1963, (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम–1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम–1969 (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम–1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (7) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना। (8) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (9) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना। (10) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (11) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (12) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (13) Mines Act 1952, Mines and Minerals Development Act 2015 के तहत परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण । (15) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (16) माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 8198/(Checker)II-6-

			2/2020 (MP/MLA) बिलासपुर दिनांक 19 सितम्बर 2020 तथा कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक 2358/एक–10–1/96 दुर्ग दिनांक 28/9/2020 के अनुसार एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (17) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक 10843/ Chekar/III-6-3/2021Bilaspur, Dated 05 September, 2022 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280 क और काला धन (अप्रकटिक विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने के कारण संबंधित मामलों का निराकरण करना। (18) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना, (19) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (20) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना,
02	श्री जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– छावनी, अ.जा.क.थाना,**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग द्वारा समय–समय पर

			सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
03	श्रीमती सरोजनी जर्नादन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– महिला थाना**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (5) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
04	कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– अण्डा, नंदिनी नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत

			होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
05	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– मोहन नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
06	श्री विवेक नेताम, न्यायिक स्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– पुलगॉव (चौकी अंजोरा, जेवरासिरसा एवं नगपुरा)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।

			(3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम .2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
07	श्री पुनीत राम गुरूपंच,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– उतई**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

08	श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**समस्त दुर्ग–भिलाई (पुरानी भिलाई –भिलाई–3) , पाटन एवं धमधा को छोड़कर) 354, 509 बोर्ड**	(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगॉव, उतई, महिला थाना,ए.जे.के. थाना, खुर्सीपार, धमधा, बोरी, अण्डा, नंदिनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354 एवं 509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (विशेषतः अधिसूचित न्यायालय) (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– खुर्सीपार**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
10	श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– जी.आर.पी. भिलाई (चौकी–चरोदा, दुर्ग)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत

			उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-- समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
11	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– मिलाई भटठी**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

12	कु.अंकिता मदन लाल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**मातृत्व अवकाश पर हैं।**	
13	श्री रवि कुमार कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– भिलाई नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
14	कु. पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– वैशाली नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत

			होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
15	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– नेवई**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
16	कु. अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– जामुल**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

			(2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
17	कु0 प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– बोरी (चौकी लिटिया)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत ,उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।

18	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,पाटन जिला दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र पाटन,रानीतराई, रनचिरई, उतई एवं थाना जामगॉव (आर) के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर,**	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर ग्रामः– जामगॉव (एम), घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरूवाईनडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अंन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्तआपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
19	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,भिलाई–3 जिला दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3), तथा अमलेश्वर, चौकी–मचान्दुर**	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा,मोतीपुर,खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा,अमलीडीह, कुरूदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आरक्षी केन्द्र–पुरानी भिलाई(भिलाई–3), अमलेश्वर, (अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह) तथा आरक्षी केन्द्र कुम्हारी से उत्पन्न धारा 354,509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले

			परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (8) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (9) आबकारी भिलाई वृत्त कमांक 1,2,3 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
20	कु0 अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3	**आरक्षी केन्दः– कुम्हारी**	(1) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्तआपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (8) आबकारी भिलाई वृत्त कमांक 4 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
21	कु. आकांक्षा ठाकुर,न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी, धमधा,जिला–दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र धमधा**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का

			निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
22	श्रीमती केवरा राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग		माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
23	श्री निलेश कुमार बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग		माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
24	सुश्री सुरभि धनगढ़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग		माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

—::— न्यायिक मजिस्ट्रेटो के अनुपस्थिति की दशा में —::—

जिला स्थापना दुर्ग में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के कार्यो का संपादन/निष्पादन निम्नानुसार किया जाएगा :—

// परिशिष्ट —"ए "

कं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम एवं पद
01	02	03
1	श्रीमती रश्मि नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग	1. श्री जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 2. श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
2	श्री जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. कु. प्रतिभा मरकाम,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
3	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
4	कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.श्री भागवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 3. श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
5	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री विवेक नेताम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती शिवानी सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
6	श्री विवेक नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती शिवानी सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती श्वेता पटेल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
7	श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्रीमती शिवानी सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती श्वेता पटेल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री डी.एन.ठाकुर, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
8	श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.श्रीमती श्वेता पटेल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री डी.एन.ठाकुर, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3..श्री रवि कुमार महोबिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
9	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री डी.एन.ठाकुर, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2.श्री रवि कुमार महोबिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री रवि कुमार कश्यप,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
10	श्री डी.एन.ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.श्री रवि कुमार महोबिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. कु. पायल टोपनो, न्या. मजि. प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री विरेन्द्र सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे.दुर्ग
11	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री विवेक नेताम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री पुनीत राम गुरूपंच,न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
12	श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.श्रीमती शिवानी सिंह,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती श्वेता पटेल, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग

		3.कु. प्रज्ञा अग्रवाल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
13	श्री रवि कुमार कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.कु0 पायल टोपनो,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री विरेन्द्र सिंह,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. अंकिता तिग्गा, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
14	कु0 पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री विरेन्द्र सिंह,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती श्वेता पटेल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. प्रज्ञा अग्रवाल,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
15	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.कु. अंकिता तिग्गा, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2.श्रीमती श्वेता पटेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3..श्री डी.एन.ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
16	कु. अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.कु. प्रज्ञा अग्रवाल,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2.श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री रवि कुमार कश्यप,न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
17	कु0 प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1.कु. अंकिता तिग्गा, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2.श्रीमती श्वेता पटेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3..श्री डी.एन.ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
18	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग (छ.ग.)	1. कु. अमिता जायसवाल,न्या.मजि.प्र.श्रे.,भिलाई–3 2. श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 3. श्री जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
19	कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग(छ.ग.)	1.श्री पंकज दीक्षित, न्या.मजि.प्र.श्रे. भिलाई–3 जिला–दुर्ग,छ0ग0 2. श्री जनार्दन खरे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
20	श्री विजेन्द्र कुमार सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	1. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री विवेक नेताम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
21	कु.आकांक्षा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	1.श्री भगवान दास पनिका, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री विवेक नेताम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
22	श्रीमती केवरा राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	1.श्री निलेश बघेल, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 2.कु. सुरभि धनगढ, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 3:श्री विवेक नेताम, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
23	श्री निलेश कुमार बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	1.श्रीमती केवरा राजपूत, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 2कु. सुरभि धनगढ, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 3.श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
24	कु. सुरभि धनगढ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	1.श्री निलेश बघेल, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती केवरा राजपूत, न्या.मजि.द्वि.श्रे.दुर्ग 3. श्रीमती शिवानी सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग.

परिशिष्ट " बी"

धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ करना

क्रं0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	नेवई, बोरी,
02	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– सुपेला, नंदिनी, पाटन आरक्षी केन्द्र– रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) जामगॉव–आर तथा अमलेश्वर
03	कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	मोहन नगर, महिला थाना
04	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	छावनी, भिलाई नगर, पदमनाभपुर
05	श्री विवेक नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	दुर्ग, धमधा जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	जामुल, पुलगॉव, भिलाई भटठी
07	श्री निलेश बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दुर्ग	वैशाली नगर, अण्डा,ए0जे0के0
08	श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– कुम्हारी
09	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– पुरानी भिलाई (भिलाई–3), अमलेश्वर
10	श्री रवि कुमार कश्यप,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	खुर्सीपार, उतई

परिशिष्ट "सी"
लैगिंक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों तथा धारा 376 भारतीय दंड संहिता में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ करना

क्रं0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	सुश्री पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	सुपेला, जी0 आर0 पी दुर्ग एवं भिलाई, पुलगॉव
02	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	महिला थाना, छावनी, पदमनाभपुर
03	सुश्री अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	दुर्ग, खुर्सीपार, भिलाई नगर,
04	कु. प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	वैशाली नगर , बोरी
05	श्रीमती केवरा राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दुर्ग	जामुल, उतई एवं अण्डा, जामगॉव–आर
07	सुश्री शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	नंदिनी,नेवई मोहन नगर,
08	कु. सुरभि धनढ़, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दुर्ग	धमधा, ए0जे0के0 एवं भिलाई भटटी
09	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	कुम्हारी
10	कुं0 अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	पुरानी भिलाई (भिलाई–3), अमलेश्वर
11	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन	आरक्षी केन्द्र– पाटन रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा अमलेश्वर (समस्त ग्राम)

परिशिष्ट–"डी"

क्र0		न्यायिक अधिकारी का नाम	न्यायिक अधिकारी का नाम
01	02	03	04
01	श्री जर्नादन खरे, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री विवेक नेताम ~~मुख्य~~ न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग

// आवश्यक दिशा निर्देश //

(01) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरान्त चलित न्यायालय (Mobile court) लगा सकेंगे।

(02) समस्त थानों के खारिजी प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा खात्मा प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(03) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के **अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का वश्यक कार्य** **व्यवस्था परिशिष्ट " ए "** में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(04) **धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं स्वीकृतियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट " बी " के अनुसार दर्ज करेंगे ।**

(05) **लैगिंक अपराधो (पाक्सो एक्ट) के तहत धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट " सी " के अनुसार दर्ज करेंगे।**

(06) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर पीठासीन अधिकारी को **आबंटित थाना को छोडकर धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतिया** कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जावेगा।

(07) प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग मे किसी बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट या उक्त बोर्ड के सदस्यों के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त

रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था **<u>परिशिष्ट "डी"</u>** स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तम्भ क्रमांक 2 से 4 तक में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा,।

(08) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(09) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

8.5.24

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग
जिला दुर्ग(छ0ग0)

District and Sessions Judge
Durg (Chhattisgarh)

<u>कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)</u>

पृष्ठांकन क्रमांक/ /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2024 दुर्ग,दिनाँक ...../04/2024

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।
(3) माननीय श्री/श्रीमती/कु0 ....., अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) श्री/श्रीमती/कु0 ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।
(7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।
(13) सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई–3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित ।
(14) जिला अभियोजन अधिकारी,दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8.5.24

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग
जिला दुर्ग (छ0ग0)

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0)
–संशोधित कार्य विभाजन आदेश–

क्रमांक/क्यू/सी0जे0एम0/2024 दुर्ग, दिनाँक 22.05.2024

श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग का स्थानांतरण अन्य जिले में होने के कारण इस कार्यालय जारी दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/क्यू /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2024 दुर्ग,दिनाँक 08/05/2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय, दुर्ग, के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा :–

(1) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–19 की उप कंडिका कमांक–2 में उल्लेखित शब्द श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को **विलोपित** किया जाता है।

(2) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा,मोतीपुर,खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा,अमलीडीह, कुरूदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आंपराधिक मामलों का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(3) आरक्षी केन्द्र–पुरानी भिलाई(भिलाई–3), अमलेश्वर, (अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह) तथा आरक्षी केन्द्र कुम्हारी से उत्पन्न धारा 354,509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(4) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(5) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के क्षेत्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(6) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(7) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो

का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(8) आरक्षी केन्द्र पुरानी भिलाई (भिलाई–3) तथा थाना अमलेश्वर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण **कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(9) आरक्षी केन्द्र–कुम्हारी के अंतर्गत **लैगिंक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों तथा धारा 376 भारतीय दंड संहिता में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला–दुर्ग** द्वारा किया जायेगा।

(10) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–18, की उप कंडिका कमांक–3 एवं परिशिष्ट "बी" की कंडिका कमांक–02 एवं परिशिष्ट "सी" की कंडिका कमांक–11 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र–रनचिरई** को विलोपित किया जाता है।

(11) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–19 की उप कंडिका कमांक–3 में उल्लेखित शब्द **चौकी मचान्दुर** को विलोपित किया जाकर दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–07 (**श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग**) की उप कंडिका कमांक–3 में आरक्षी केन्द्र उतई के नीचे **चौकी मचान्दुर** जोड़ा जाता है।

(12) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की परिशिष्ट "बी" धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत धारा 354, 509 भा.दं.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ आबंटित थाना नेवई, बोरी, आरक्षी केन्द्र– सुपेला, नंदिनी, पाटन, रानीतराई तथा उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) जामगॉव–आर तथा अमलेश्वर से उदभूत होने वाले प्रकरणों में **सुश्री सुरभि धनगढ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग के द्वारा दर्ज किया जावेगा।**

(13) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की परिशिष्ट "बी" धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत धारा 354, 509 भा.दं.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ आबंटित थाना मोहन नगर, महिला थाना, छावनी, भिलाई नगर, पदमनाभपुर, दुर्ग, धमधा जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, जामुल, पुलगॉव, भिलाई भटठी से उदभूत होने वाले प्रकरणों में **श्रीमती केवरा राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग** के द्वारा दर्ज किया जावेगा।

(14) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की परिशिष्ट "बी" धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत धारा 354, 509 भा.दं.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ आबंटित थाना वैशाली नगर, अण्डा,ए0जे0के0, कुम्हारी, पुरानी भिलाई (भिलाई–3), अमलेश्वर, खुर्सीपार, उतई से उदभूत होने वाले प्रकरणों में **श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग** के द्वारा दर्ज किया जावेगा।

(15) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की परिशिष्ट "सी"लैगिंक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों तथा धारा 376 भारतीय दंड संहिता में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन

एवं संस्वीकृतियाँ दर्ज किये जाने हेतु कंडिका कमांक–11 में **श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग को विलोपित** किया जाकर उनके स्थान पर **श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग को** आरक्षी केन्द्र–पाटन रानीतराई तथा उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा अमलेश्वर (समस्त ग्राम) से उदभूत होने वाले प्रकरणों में लैगिंक अपराधों (POCSO ACT) के अपराधों तथा धारा 376 भारतीय दंड संहिता में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ दर्ज किये जाने हेतु जोड़ा गया।

(16) दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–19 की उप कंडिका कमांक–4 के सरल कमांक–9 (आबकारी भिलाई वृत्त कमांक 1,2,3 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा) तथा दांडिक कार्य विभाजन आदेश की कंडिका कमांक–20 की उप कंडिका कमांक–4 के सरल कमांक–8 (आबकारी भिलाई वृत्त कमांक 4 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा) को विलोपित किया जाता है।

(17) आबकारी भिलाई वृत्त कमांक 1,2,3,4 के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के आपराधिक प्रकरणों का निराकरण **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग** के द्वारा किया जायेगा।

(18) दांडिक कार्य विभाजन आदेश के परिशिष्ट–''डी'' में उप कंडिका–4 में उल्लेखित शब्द श्री विवेक नेताम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के स्थान पर **श्री विवेक नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग पढ़ा जावे**।

(19) दांडिक कार्य विभाजन आदेश में जहॉ जहॉ पर श्री पंकज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी भिलाई–3 उल्लेखित किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

22.5.24

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)

24/5/24
District and Sessions Judge,
Durg (Chhattisgarh)

<u>कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)</u>

पृष्ठांकन क्रमांक/ /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2024 दुर्ग,दिनाँक ...../05/2024

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।
(3) माननीय श्री/श्रीमती/कु0 ....., अपर सत्र

न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(4) श्री/श्रीमती/कु0 ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।

(7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।

(13) सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई–3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित ।

(14) जिला अभियोजन अधिकारी,दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22.5.24

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग
जिला दुर्ग (छ0ग0)

कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ0ग0)

–//संशोधित कार्य विभाजन आदेश//–

क्रमांक/क्यू/सी0जे0एम0/2024 दुर्ग, दिनाँक 19.06.2024

दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/क्यू./दां.का.वि./सी0जे0एम0/2024 दुर्ग,दिनाँक 08/05/2024 में **'परिशिष्ट–इ'** के रूप में जोड़ा जाकर राजस्व जिला–दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों में एन.डी.पी.एस.अधिनियम से संबंधित उद्भूत होने वाले प्रकरणों में **एन.डी.पी.एस.अधिनियम, 1985 की धारा 52–क के तहत जब्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करने हेतु** निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय, दुर्ग, के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा :–

कं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र का नाम
1	2	3
01	श्री जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	दुर्ग
02	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	पदमनाभुर
03	सुश्री प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	सुपेला (चौकी स्मृति नगर)
04	श्री भगवान दास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	मोहन नगर
05	श्री विवेक नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	छावनी
06	श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	पुलगॉव (चौकी अंजोरा, जेवरा सिरसा, नगपुरा)
07	श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	उतई,चौकी मचांदुर,
08	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	खुर्सीपार
09	श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	धमधा, अण्डा
10	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	जी.आर.पी. भिलाई (चौकी चरोदा, दुर्ग)
11	श्री रवि कुमार कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	भिलाई भट्ठी
12	कु. पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	नेवई
13	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	वैशाली नगर, बोरी (चौकी लिटिया)
14	कु. अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	महिला थाना, जामुल

15	कु0 प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	नंदिनी नगर, भिलाई नगर
16	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन, जिला–दुर्ग	पाटन, रानीतराई, उतई एवं थाना जामगॉव (आर), अमलेश्वर
17	कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3, जिला–दुर्ग	भिलाई–3, कुम्हारी, अमलेश्वर
18	कु. आकांक्षा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमधा, जिला–दुर्ग	धमधा

31/6/24

District and Session Judge
Durg (Chhattisgarh)

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)

कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक/ /दां.का.वि./सी.जे.एम0/2024 दुर्ग,दिनाँक ...../06/2024

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।
(3) माननीय श्री/श्रीमती/कु0 ....., अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(4) श्री/श्रीमती/कु0 ....., न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
(5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।
(7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
(12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।
(13) सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई–3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित ।
(14) जिला अभियोजन अधिकारी,दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीमती रश्मि नेताम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)